न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 829/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मूलाराम पुत्र जेठाराम 2. अशोक पुत्र जेठाराम जाति–माली निवासी– भाडखा, तहसील व जिला बाड़मेर।		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 62/2017 अनवान मूलाराम वगैराह बनाम सरकार में दिनांक 05.02.2021 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता, अपीलाण्टस् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 24 सितम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली में अंकित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम भाडखा के राजकीय भूमि ख0सं0 565/181 के रकबा 05.00 बीघा पर अपीलान्टस् ने बाजरी व ग्वार फसल बोकर कब्जा करके अतिक्रमण करना बताकर उनकी बेदखली के लिये पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार, बाडमेर के समक्ष पेश की गई। जिस पर तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना ही एवं पटवारी हल्का के बयान लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2017 को पारित करते हुए अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली, जुर्माना, फसल नीलामी व एक माह का सिविल कारावास की सजा दिये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर न्यायालय बाडमेर के समक्ष पेश की गई, जो अपील अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 5.2.2021 को अस्वीकार कर दी गई। जिला कलेक्टर,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बाडमेर के उक्त आदेश दिनांक 5.2.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2021 को प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभय पक्षकारान् की सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम, अभिलेख के खिलाफ पारित किया गया है क्योंकि जिला कलेक्टर ने यह मानने में भारी भूल की है कि अपीलार्थी ने अपने पुराने कब्जे का सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जबकि तहसीलदार ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने के लिये एवं पुराने कब्जे का सबूत प्रस्तुत करने का समय भी दिया था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा भी अपीलार्थी को सबूत प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया जो कि आवश्यक था।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अपीलार्थीगण काश्तकार है तथा उनका उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त 40 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है जिस कारण से अपीलार्थीगण राज्य सरकार के नियम, परिपत्रों के आधार पर भूमि का नियमन करवाने के अधिकारी है। इसलिये उक्त पत्रावली को भूमि नियमन किये जाने हेतु सक्षम नियमन कमेटी के समक्ष भेजा जाना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार ने अत्यन्त जल्दबाजी में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2017 को पारित कर दिया। अपीलार्थीगण की फसल की निलामी व सिविल कारावास की सजा का आदेश फसल हटाने हेतु पर्याप्त समय दिये बिना एवं पटवारी हल्का के बयान किये बिना, जिरह किये बिना ही पारित किया गया है, जो धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है और धारा 91 (2) के तहत प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है। तहसीलदार के द्वारा सिविल प्रकिया संहिता व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण भी नहीं किया गया।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण दिनांक 4.9.2017 को दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर सुनवाई हेतु दिनांक 22.9.17 नियत की गई। अपीलान्ट्स के सम्मन तामील नहीं करवाये गये

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

और अपीलान्ट संख्या 02 का नोटिस तामील नहीं हुआ, न ही वह तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ था। तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.9.2017 को ही पत्रावली का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश क्रमशः दिनांक 5.2.2021 व 22.09.2017 को निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार बाडमेर को अपीलार्थीगण को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के द्वारा ग्राम भाडखा के ख0सं0 565/181 रकबा 60.10 बीघा में से 05.00 बीघा पर बाजरी व ग्वार बोकर अतिक्रमण किये जाने पर उनके विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण तहसीलदार बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार बाडमेर ने अपीलान्ट्स को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार बाडमेर ने अपीलान्ट्स की ओर से इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने, कब्जा काश्त करने के आधार पर अपीलान्ट्स पर जुर्माना अधिरोपित करने व एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने तथा सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील भी सारहीन होने व आधारहीन होने के आधार पर खारिज की गई है। ऐसे में जो अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, वो विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाये एवं अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाये।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट्स के द्वारा ग्राम भाडखा के राजकीय भूमि ख0सं0 565/181 के रकबा 05.00 बीघा पर बाजरी व ग्वार फसल बोई जाकर उस पर कब्जा करते हुए अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का ने तहसीलदार, बाडमेर के समक्ष धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखे जाने का एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, जिस

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पर अपीलान्ट संख्या 01 तहसीलदार बाडमेर के समक्ष उपस्थित हुआ है, अन्य अपीलान्ट संख्या 02 जो अपीलान्ट संख्या एक का सगा भाई है, को भी इस प्रकरण की जानकारी अवश्य रही है। तहसीलदार कार्यालय में उक्त प्रकरण दर्ज होने की जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलान्टगण के द्वारा अपना पक्ष, साक्ष्य—सबूत दस्तावेज या जवाब तक तहसीलदार के समक्ष पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रकरण की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान भी संलग्न है जिसमें अपीलान्ट्स के द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना माना है। ऐसे में प्रकरण एकतरफा अथवा एकपक्षीय रूप से आदेश जारी होना नहीं माना जा सकता है। तहसीलदार बाडमेर के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2017 को पारित करते हुए अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखली, जुर्माना, फसल निलामी व एक माह का सिविल कारावास की सजा दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है और न ही धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तहसीलदार बाडमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष अपीलान्ट्स की ओर से पेश प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की गई है जो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपनी इस अपील में ऐसे कोई तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो और अपीलाधीन आदेश को विधि के विपरित पारित आदेश ठहराया जा सकता हो। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट्स की अपील खारिज योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 62/2017 अनवान मूलाराम वगैराह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.02.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर